

## SECC के क्रियान्वयन के संबंध में,


सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना, की अध्यक्षता में दिनांक 20.05.2013 को आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

### उपस्थिति:-

1. सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।
2. श्री आर के वर्मा, सहायक निदेशक, जनगणना निदेशालय, बिहार, पटना ।
3. श्री मुरलीधर राव, उप राज्य समन्वयक, ECIL, बिहार, पटना ।
4. श्री प्रताप कुमार कार्यक्रम पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना ।

1. सर्वप्रथम प्रगणन कार्य पूर्ण होने में आ रही समस्याओं की समीक्षा की गई । श्री प्रताप कुमार द्वारा बतलाया गया है कि कुछ जिलों यथा- बक्सर, जहानाबाद, सिवान, एवं पटना, में DEOs एवं DBAs के पारिश्रमिक का भुगतान ECIL के द्वारा नहीं किये जाने के कारण कुछ चार्ज केन्द्रों में कार्य पूरी तरह से ठप है । ECIL के प्रतिनिधि को जल्द से जल्द प्रगणकों के भुगतान करने का निदेश दिया गया ।
2. श्री प्रताप कुमार कार्यक्रम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ECIL के Parent Dept. (Atomic Energy) के सचिव को DEOs भुगतान संबंधी एवं ECIL के असक्षमता के संबंध में सचिव महोदय के द्वारा एवं मुख्य सचिव महोदय के स्तर से ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र भेजा जाय ।
3. DCO बिहार को निदेशित किया गया कि यदि अभी भी किसी जिले का AHL एवं Tiff image की समस्या हो तो तुरंत इसका निदान कर ECIL के प्रतिनिधि को हस्तगत करायें ।
4. प्रत्येक सोमवार को SECC की समीक्षा विभागीय स्तर पर जारी रहेगी एवं इससे संबंधित पदाधिकारी, ECIL के प्रतिनिधि एवं DCO बिहार के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे ।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई ।

  
(अनिल कुमार सिन्हा)  
विशेष कार्य पदाधिकारी  
ग्रामीण विकास विभाग,  
बिहार, पटना ।

जापांक:- ग्रा0 वि0-5/सा0आ0जन0(वी.सी.)-103-12/2012

पटना, दिनांक :- 27.5.2013

प्रतिलिपि :- श्री प्रताप कुमार, कार्यक्रम पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना / श्री मुरलीधर राव, सहायक राज्य समन्वयक, ECIL/ संयुक्त जनगणना निदेशक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी

जापांक:- 149703 पटना, दिनांक :- 27.5.2013

प्रतिलिपि:- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव, के प्रधान आप्त सचिव को सादर सूचनार्थ प्रेषित ।

  
विशेष कार्य पदाधिकारी